एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5775/2002

14.3.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री लोकेन्द्र सिंह, वास्ते श्री आर.पी.विजय अधिवक्ता याची.
श्री हवासिंह, अधिवक्ता अयाची संख्या 1 से 3.

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। इस रिट याचिका में याची की ओर से मूलत: यह अनुतोष चाहा गया था कि अयाचीगण द्वारा याची को छठी कक्षा में प्रवेश नहीं दिये जाने के आदेश को अवैध घोषित किया जाय तथा उन्हें याची को प्रवेश दिये जाने हेतु आदेशित किया जावे। यह रिट याचिका दिनांक 16.8.2002 को दायर की गयी थी। इसके पश्चात लगभग पांच वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में अब इस याचिका में याची को कोई अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं होगा। मैं इस रिट याचिका को आगे चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं पाता हूं। अत: यह रिट याचिका इसी आधार पर निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति